ૐકાર ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-6 अंक : 80

सहयोग शुल्क : रु. 1 / ओगष्ट: 2023

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

निरामया हेल्थपोलिसी दिव्यांगों के लिए वरदान है
- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

निरामया हेल्थ पोलीसी देश के सभी दिव्यांगों का अधिकार है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

देश और दुनिया के दिव्यांग अपनी मर्यादाओं को लांघकर अपनी पूरी क्षमताओं के साथ अपने सामर्थ्य का पर्चम लहरा रहे हैं । समाज और दुनिया के विभिन्न देश दिव्यांगों को उनके हौसलों की उडान भरने के लिए जितना चाहे उतना ऊंचा आसमान देने के लिए तैयर हो गये हैं । फिर चाहे वह खेल हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो । हमारे हर अंक में हर बार हम किसी न किसी दिव्यांग प्रतिभा की सिद्धियों और उनके हौंसलों की बात करते हैं, साथ ही सरकारों द्वारा दिव्यांगों के उत्थान के लए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी यहां जानकारी देते हैं । इस बार अपनी दिव्यांगता से कामयाबी तक पहूंचनेवाले राजेन्द्रसिंह राहेलू की बात यहां रखी है । एक गरीब परिवार में पैदा हुए और केवल आठ महिने की आयु में ही पोलियो के शिकार हुए राजेन्द्रसिंहने पोलियो और अपनी गरीबी से उपर उठकर देश विदेश के दिव्यांगों के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम की है । जो इनसान अपने पैरों पर खडा भी नहीं रह सकता वह 185 किलोग्राम वजन उठाकर लोगों को अचंबे में डाल रहा है । अपनी गरीबी और विकलांगता का रोना रोने के बदले अपने उत्थान की राह खुद बनानेवाले राजेन्द्रसिंह को हम सलाम करते हैं ।

सरकार दिव्यांगों के लिए निरामय हेल्थ पोलीसी लागु कर दिव्यांगों के स्वास्थ्य के बारे में कितनी चिंतित है यह साबित कर दिया है । दिव्यांगों के स्वास्थ्य के लिए उठाए जा रहे कदमों में सरकार अपने प्रयासों में सफल होती दिख रही है । निरामया हेल्थ पोलिसी स्वास्थ्य के लिए दिव्यांगों की पराधीनता को खतम कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है ।

अहमदाबाद के ओढव में १२ अगस्त को खुल रहा सी.आर.सी केन्द्र गुजरात के सभी दिव्यांगों के लिए उम्मीद की सबसे बड़ी किरण है क्योंकि अब वहां दिव्यांगों को सरकार की सारी सुविधाओं और योजनाओं के लाभ आसानी से मिल पाएंगे ।

व्यक्तिगत और सामाजिक एवं सरकार द्वारा दिव्यांगों के उत्थान के लिए उठाए जा रहे कदमों और योजनाओं के प्रति हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं ।

दिव्यांग सेतु

मासिक पत्रिका

ओगष्ट : 2023, पृष्ठ संख्या : 16

वर्ष-6 अंक : 80

प्रेरणास्त्रोत और संपादक

मंत्रयुगपरिवर्तक ॐकार महामंडलेश्वर १००८
प. पू. संतश्री सद्‌गुरु ॐऋषि स्वामी ।

सह-संपादक

मिहिरभाई शाह

मो. 97241 81999

संपर्क-सूत्र

सेवा समर्पण फाउण्डेशन

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)

Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad

०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,

अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,

नया विकासगृह रोड, पालडी,

अहमदाबाद - ३८०००९

(मो.) 99749 55365, 9974955125

मुद्रक

प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.

आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6

Phone : 079 26405200

विकलांगता से कामयाबी तक राजेन्द्रसिंह राहेलु

Rajinder Singh Rahelu ! शायद नाम न सुना हो, क्योंकि यह क्रिकेटर या फ़िल्मी हीरो नहीं है|

बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे राजिंदर सिंह राहेलू कभी अपने पैरों पर चल नहीं सके क्योंकि उन्हें बचपन में महज 8 महीने की उम्र में पोलियो हो गया था|

लेकिन क्या आप सोच सकते है – एक व्यक्ति जिसके पैर इतने कमजोर है कि वह जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका, वह 185 किलोग्राम वजन उठा सकता है ? राजेंद्र सिंह राहेलू ने यह कारनामा दिखा चुके है|

उन्होंने 2014 कामनवेल्थ खेलों (Commonwealth Games) में हैवीवेट पावर लिफ्टिंग (Power Lifting) में 185 KG. वजन उठाकर रजत पदक जीत चुके है|

राजेन्द्रसिंह राहेलु उन लोगों के लिए प्रेरणा है, जो शारीरिक असक्षमता से पीड़ित है|

22 जुलाई, 1973 को जन्मे राजिंदर को 8 महीने की उम्र में ही पोलियो हो गया था| उनका

बचपन गरीबी और विकलांगता से लड़ने में बीता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी| सन् 1996 में उन्होंने अपने मित्र से प्रेरणा लेकर वेट लिफ्टिंग में करियर बनाने की सोची| वे प्रैक्टिस करने के लिए ट्राई-साईकिल पर जाते थे और जहाँ ट्राई-साइकिल नहीं ले जा सकते थे वहां वे अपने हाथों से चलकर जाते थे|

कई मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना ली|

Rajinder अपनी मेहनत से पॉवर लिफ्टिंग में कामयाब होते गए| सन् 2004 में उन्होंने 56 किलोग्राम वर्ग में एथेंस पैराओलिंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता|

उन्होंने 2008 और 2012 पैरओलिंपिक खेलों में पॉवर लिफ्टिंग खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया| 2012 पैराओलिंपिक खेलों में वे 175 किलोग्राम वजन उठाने में अपने तीनों प्रयासों में चूक गए लेकिन, उन्होंने हार नहीं मानी|

उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ खेलों में शानदार प्रदर्शन करके 185 किलोग्राम वजन उठाकर में रजत पदक अपने नाम किया और आज वे युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत है|

आज वे एक कोच के रूप में युवाओं एंव असक्षम बच्चों को ट्रेनिंग देते है|

वे एक सच्चे हीरो है| उनके जैसे लोग हमारे लिए हर रोज एक नई आशा की किरण लेकर आते है जो यह साबित करती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती|

राजेन्द्रसिंह राहेलु जैसे लोगों ने यह साबित किया है कि “असंभव कुछ भी नहीं – Nothing is Impossible”

जीवन में नामुनकिन कुछ भी नहीं| हम वो सब कर सकते है, जो हम सोच सकते है और हम वो सब सोच सकते है, जो आज तक हमने नहीं सोचा।

निरामय (स्वास्थ्य बीमा योजना)

उद्देश्य: निरामय योजना का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंद बुद्धि और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को किफायती दामों पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है।

निरामय योजना का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंद बुद्धि और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को किफायती दामों पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है।

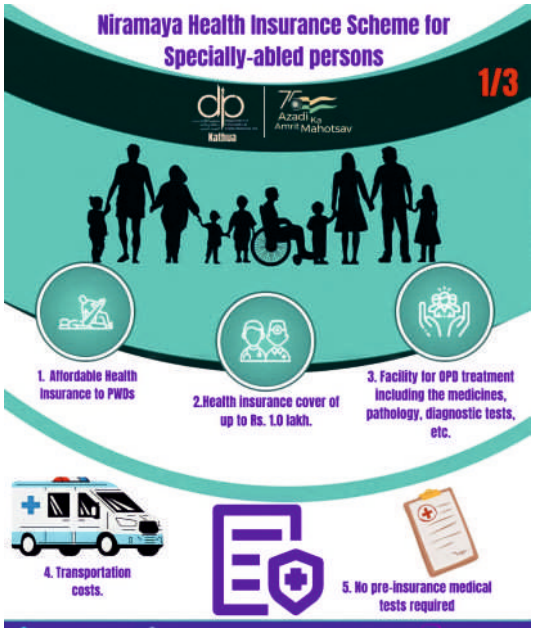

योजना का विवरण : इस योजना में व्यापक बीमा-सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें

- सभी उम्र वालों को केवल एक प्रीमियम भरना होगा
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के लिए एक जैसे कवरेज का प्रावधान
- रु. 1.0 लाख तक की बीमा सुरक्षा
- राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत विकलांगता युक्त वे सभी व्यक्ति पात्र होंगे और समाहित किए जाएँगे, जिनके पास विकलांगता का प्रमाणपत्र है। यह योजना जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में उपलब्ध होगी। साथ ही इस योजना में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है |
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा जारी/संशोधित लाभ-तालिका के अनुसार- नियमित चिकित्सा जाँच से लेकर अस्पताल में भर्ती करने जैसी सेवाएं, इलाज से लेकर सुधार करने तक की शल्य-क्रिया, परिवहन आदि। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- बीमा-पूर्व कोई चिकित्सा जाँच नहीं।
- गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों से बाह्य रोगी सेवाएं और इलाज लेने पर दावों की प्रतिपूर्ति।
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा विनिर्धारित अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है।

निधीयन पद्धति : शीर्ष के अंतर्गत सभी नामांकित लाभग्राहियों को रु. 1.0 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिलेगा। उपर्युक्त प्रत्येक आवंटित निधि निम्नवत है:

राष्ट्रीय न्यास और बीमा प्रदाता के मध्य करार के आधार पर उपर्युक्त उप-आवंटन में वार्षिक परिवर्तन हो सकते हैं, जिन्हें वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना- संशोधित लाभ तालिका

केवल प्रतिपूर्ति आधार पर (अप्रैल 2015 से) (रुपये)

खंड	उप-खंड	विवरण	उप-सीमा	खंड की समग्र सीमा
I	अस्पताल में भरती होने संबंधी समग्र सीमा			55,000/-
	क	वर्तमान और जन्मजात विकलांगता के लिए सुधारात्मक शल्य-क्रिया	40,000/-	
	ख	शल्य-क्रिया से इतर/अस्पताल में भर्ती होना	15,000/-	
II	बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) के लिए समग्र सीमा			19,000/-
	क	ओपीडी इलाज, जिसमें दवाएँ, रोगों की जाँच, निदान संबंधी परीक्षण आदि शामिल हैं	15,000/-	
	ख	स्वस्थ दिव्यांगों के लिए नियमित चिकित्सा जाँच	4,000/-	
III	विकलांगता और विकलांगता संबंधी जटिलताओं के कुप्रभाव को कम करने के लिए अनवरत चिकित्सा			20,000/-
IV	वैकल्पिक चिकित्सा			4,000/-
V	परिवहन व्यय			2,000/-
प्रति व्यक्ति कवरेज की समग्र सीमा रु. 1,00,000/-				

पात्रता मानदंड : वे सभी दिव्यांग जिनमें राष्ट्रीय न्यास 1999 के अनुसार कम से कम एक विकलांगता है, और जिनके पास विकलांगता का वैध प्रमाणपत्र है, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र हैं।

प्रक्रियाएँ : इस खंड में उन प्रक्रियाओं का वर्णन है, जिनका निरामय योजना के संबंध में पालन किया जाना चाहिए:

१. निरामय के लिए दिव्यांग व्यक्ति का नामांकन

२. दावा-निपटान

कृपया ध्यान दें कि हर वर्ष राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की जाएगी। राष्ट्रीय न्यास को बिना अधिसूचना दिए विनिर्देशों में परिवर्तन का अधिकार है।

निरामय योजना के समस्त प्रक्रिया-प्रवाह को निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है:

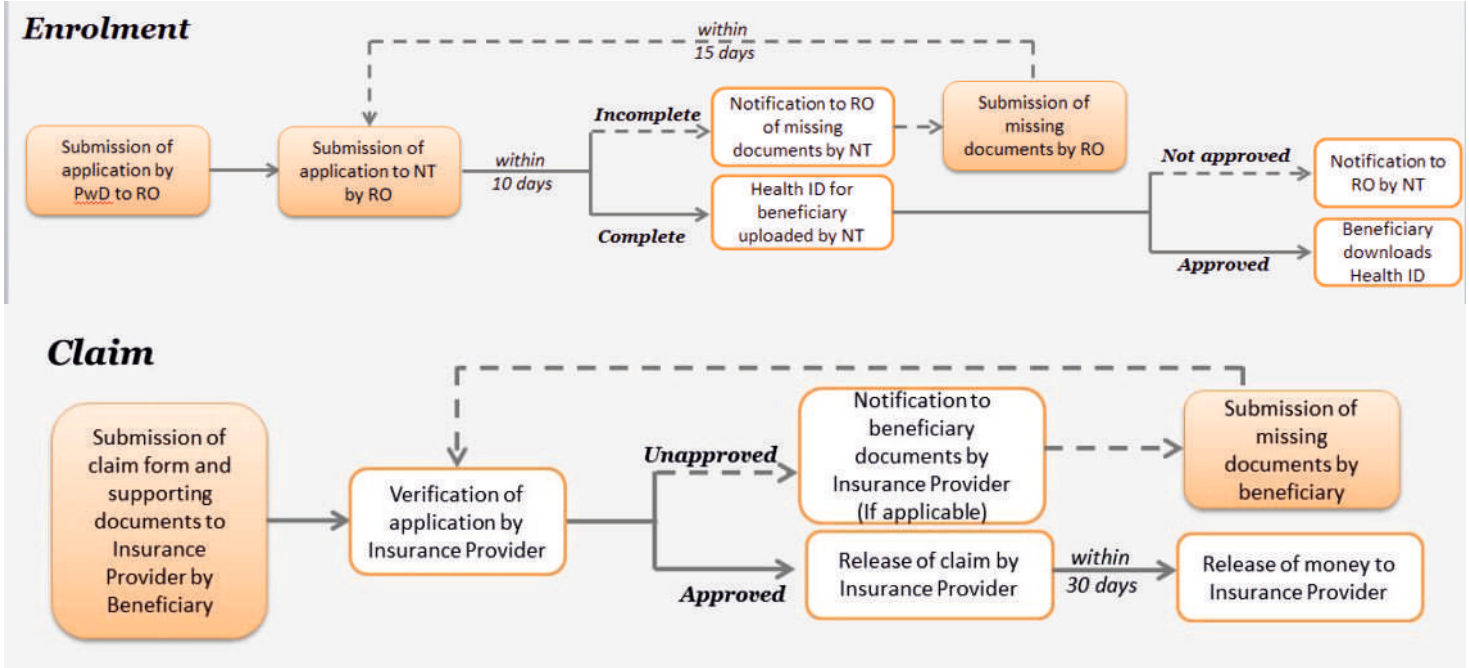

पंजीकरण - पंजीकृत संस्था में दिव्यांग द्वारा आवेदन का प्रस्तुतीकरण पंजीकृत संस्था द्वारा राष्ट्रीय न्यास में आवेदन का प्रस्तुतीकरण 10 दिन के भीतर 15 दिन के भीतर अपूर्ण पूर्ण नहीं मिले दस्तावेज़ों के बारे में राष्ट्रीय

न्यास द्वारा पंजीकृत संस्था को अधिसूचना लाभग्राही का स्वास्थ्य पहचान पत्र राष्ट्रीय न्यास द्वारा अपलोड नहीं मिले दस्तावेज पंजीकृत संस्था द्वारा प्रस्तुत अनुमोदन नहीं अनुमोदित राष्ट्रीय न्यास द्वारा पंजीकृत संस्था को अधिसूचना लाभग्राही द्वारा स्वास्थ्य पहचान पत्र डाउनलोड

दावा – लाभग्राही द्वारा दावा फॉर्म तथा संबंधित दस्तावेज बीमा-प्रदाता को प्रस्तुत बीमा-प्रदाता द्वारा आवेदन का सत्यापन अनुमोदित नहीं अनुमोदित बीमा-प्रदाता द्वारा लाभग्राही को दस्तावेज़ों के बारे में अधिसूचना (यदि लागू हो) बीमा-प्रदाता द्वारा दावा जारी छूटे हुए दस्तावेज लाभग्राही द्वारा प्रस्तुत बीमा-प्रदाता द्वारा धन जारी

पंजीकृत संस्था द्वारा दिव्यांग व्यक्ति के नामांकन (प्रथम अनुमोदन) की प्रक्रिया

दिव्यांग व्यक्ति नामांकन प्रक्रिया में उन चरणों का वर्णन है, जिनका पालन निरामय में पहली बार नामांकन कराते समय करना होता है। साथ ही, इसमें नामांकन के प्रत्येक चरण के लिए अपेक्षित सूचना व दस्तावेज़ों और आवश्यकतानुसार विभिन्न गतिविधियों की समय-सीमा भी उल्लिखित है।

योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए पात्र व्यक्ति वर्ष के दौरान कभी भी, राष्ट्रीय न्यास में पंजीकृत अपनी नज़दीकी संस्था के माध्यम से अथवा किसी भी ऐसी एजेंसी में निर्धारित प्ररूप में आवेदन कर सकता है, जिसे राष्ट्रीय न्यास ने यह दायित्व सौंपा हो। दिव्यांग व्यक्ति लागू आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा और पंजीकृत संस्था हर फॉर्म पर कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय न्यास से रु. 40 पाने की पात्र होगी।

चरण 1. दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता/अभिभावक निरामय के अंतर्गत नामांकन के लिए अपेक्षित दस्तावेज़ लेकर नज़दीकी पंजीकृत संस्था में जाएंगे (जैसाकि चरण 2 में वर्णित है)।

चरण 2. पंजीकृत संस्था दिव्यांग व्यक्ति के नामांकन के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करेगी:

- पंजीकृत संस्था ऑनलाइन फॉर्म/प्रस्ताव भेजेगी।
- निरामय आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और अपेक्षित दस्तावेज़ों की मूल प्रति के सत्यापन के बाद स्कैन करके अपलोड किया जाएगा।
- विधिवत भरा गया फॉर्म राष्ट्रीय न्यास के पोर्टल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
- आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा (जैसाकि तालिका में दिया गया है)
- निम्नलिखित तालिका में आवेदन शुल्क तथा प्रत्येक श्रेणी के दिव्यांगों हेतु अपेक्षित दस्तावेजों का वर्णन है:

दिव्यांग की श्रेणी	**नामांकन शुल्क (रुपये)**	**अपेक्षित दस्तावेज़**
बीपीएल	250	-जिला अस्पताल अथवा समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र (स्व अभिप्रमाणित) -बीपीएल कार्ड -पते का प्रमाण -भुगतान का सबूत (यदि चालान द्वारा हो तो)
नॉन-बीपीएल	500	-जिला अस्पताल अथवा समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र (स्व अभिप्रमाणित) -पते का प्रमाण
दिव्यांगजन जिनका कोई क़ानूनी अभिभावक है (माता पिता को छोड़कर)	मुफ्त	-भुगतान का सबूत (यदि चालान द्वारा हो तो) जिला अस्पताल अथवा समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र(स्व अभिप्रमाणित) -पते का प्रमाण -राष्ट्रीय न्यास 1999 के अन्तर्गत क़ानूनी अभिभावकता प्रमाण-पत्र

चरण 3. राष्ट्रीय न्यास को आवेदन फॉर्म तथा दस्तावेज मिलने पर उनकी जाँच की जाती है कि वे पूरे हैं या नहीं। किन्तु यदि कोई सूचना न मिली हो या त्रुटिपूर्ण सूचना प्रस्तुत हुई हो और उसे पुनः प्रस्तुत किया जाना हो तो उसके पुनः प्रस्तुतीकरण के लिए पंजीकृत संस्था को 15 दिन का समय दिया जाता है।

चरण 4. सफलतापूर्वक नामांकन और अनुमोदन के उपरान्त, प्रत्येक लाभग्राही को स्वास्थ्य पहचान संख्या/कार्ड जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय न्यास अंतिम दस्तावेज़ों के प्राप्ति-बिन्दु के 30 दिन के भीतर पंजीकृत संस्था को सूचना

ऑनलाइन अथवा पंजीकृत संस्था के माध्यम से डाउनलोड कर सकता है।

योजना का नवीनीकरण

निरामय योजना उस वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक वैध होती है, जिसमें नामांकन किया गया हो। लाभग्राहियों से अपेक्षित है कि वे योजना के समापन से तीन महीने पहले उसका नवीनीकरण करा लें, ताकि योजना का लाभ उन्हें मिलता रहे।

चरण 1. निरामय नवीनीकरण के लिए दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता/अभिभावक अपेक्षित दस्तावेज़ लकर (जो चरण 2 में वर्णित है) नज़दीकी पंजीकृत संस्था में जाएंगे।

चरण 2. पंजीकृत संस्था दिव्यांग व्यक्ति के नवीनीकरण के लिए नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन करेगी:

- पंजीकृत संस्था दस्तावेज़ की वैधता का सत्यापन करेगी (जिसकी रूपरेखा नीचे की तालिका में दी गई है)।
- वह निरामय की वेबसाइट पर नवीनीकरण लिंक पर क्लिक करेगी।
- आवेदन शुल्क (तालिका के अनुसार) का भुगतान ऑनलाइन करेगी।

दिव्यांग की श्रेणी	नवीनीकरण शुल्क (रुपये)	अपेक्षित दस्तावेज़
बीपीएल	50	-जिला अस्पताल अथवा समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र (स्व अभिप्रमाणित) -बीपीएल कार्ड -पते का प्रमाण -भुगतान का सबूत (यदि चालान द्वारा हो तो)
नॉन-बीपीएल	250	-जिला अस्पताल अथवा समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र (स्व अभिप्रमाणित) -पते का प्रमाण -भुगतान का सबूत (यदि चालान द्वारा हो तो)
दिव्यांगजन जिनका कोई क़ानूनी अभिभावक है (माता पिता को छोड़कर)	मुफ्त	जिला अस्पताल अथवा समुचित सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र(स्व अभिप्रमाणित) -पते का प्रमाण -राष्ट्रीय न्यास 1999 के अन्तर्गत क़ानूनी अभिभावकता प्रमाण-पत्र

चरण 3. भुगतान प्राप्त होने के पश्चात्, पंजीकृत संस्था/लाभग्राही को एक और वर्ष के लिए नवीनीकरण की अधिसूचना वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी।

दावा-प्रक्रिया:

निरामय के अंतर्गत निपटान के सभी दावे बीमा-प्रदाता के केन्द्रों में, निर्धारित दावा फॉर्म में और संबंधित

वाउचरों/बिलों आदि के साथ (इलाज के वरीयत: 30 दिन के भीतर अथवा अस्पताल से छुट्टी के बाद) प्रस्तुत किए जाने चाहिए। दावा फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा स्थानीय एसएनएसी से लिया जा सकता है और प्रतिपूर्ति का अनुरोध निम्नलिखित प्रक्रिया से किया जा सकता है:

चरण 1. लाभग्राही www.thenationaltrust.gov.in से फॉर्म डाउनलोड करेगा।

चरण 2. भरा हुआ दावा फॉर्म सभी संबंधित दस्तावेज़ों (चिकित्सा बिल, अस्पताल में भर्ती होने की रिपोर्ट, छुट्टी की पर्ची आदि) के साथ बीमा प्रदाता के क्षेत्रीय केन्द्र में जमा किया जाएगा।

चरण 3. बीमा-प्रदाता दस्तावेज़ों का सत्यापन करेगा और आईआरडीए के दिशा-निर्देशानुसार अनुमोदित दावा संबंधित बैंक खाते में अन्तरित करेगा।

*दावे के समय प्रस्तुत किए जानेवाले अपेक्षित दस्तावेज़:

(क) निरामय कार्ड की प्रतिलिपि अथवा स्वास्थ्य पहचान संख्या इंगित करें

(ख) विकलांगता प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति

(ग) डॉक्टर द्वारा लिखे गए नुस्खों (प्रिस्क्रिप्शन) की मूल प्रतियाँ

(घ) सभी रिपोर्टों की मूल प्रतियाँ

(ङ) लाभग्राही के सम्पूर्ण बैंक विवरण: खाता संख्या/बैंक का नाम/ शाखा आईएफएससी कूट/ खाता-धारक का नाम *बीमा-प्रदाता/टीपीए की अपेक्षानुसार इसमें अन्तर हो सकता है।

प्रमुख कार्यनिष्पादन सूचक (केपीआई)

सभी पंजीकृत संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत उनसे सेवा पा रहे सभी लाभग्राही निरामय के अंतर्गत नामांकित हैं। साथ ही, निम्नलिखित हितधारकों से आशा की जाती है कि वे नीचे दिए गए प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों का पालन करें:

केपीआई का नाम	केपीआई का नाम	लक्ष्य	अपेक्षित दस्तावेज़
१.आवेदन पर कार्रवाई में लगा समय	आवेदक को स्वास्थ्य पहचान-पत्र जारी करने में राष्ट्रीय न्यास द्वारा लिया गया समय	आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर	अनुमोदन की स्थिति में, स्वास्थ्य पहचान-पत्र आवेदन मिलने के 30 दिन के भीतर वेबसाइट पर अवश्य अपलोड कर दिया जाना चाहिए। अस्वीकृति की स्थिति में, आवेदक को कारण अवश्य बताया जाना चाहिए। यदि अस्वीकृति 'अपूर्ण दस्तावेज़' हो तो राष्ट्रीय न्यास द्वारा आवेदक को वे दस्तावेज़ सूचित किए जाने चाहिए जो नहीं मिले हैं और दस्तावेज़ जमा कराने के लिए 15 दिन का समय देना चाहिए।
२.निरामय स्थिति रिपोर्ट	राष्ट्रीय न्यास के अधिकारी तथा योजना के लिए उत्तरदायी बीमा प्रदाताओं को निरामय की समग्र स्थिति पर (लगभग 500 शब्दों की) रिपोर्ट जारी करनी चाहिए, ताकि इसकी कार्य-पद्धति को समझा जा सके।	राष्ट्रीय न्यास द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सितम्बर और मार्च में अर्धवार्षिक रिपोर्ट जारी की जाए।	निरामय स्थिति रिपोर्ट, जिसमें निम्नलिखित का समावेश हो: -प्राप्त, अनुमोदित और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या -आवेदन की अस्वीकृति (यदि हो) के कारण • शीर्ष, जिनके अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुए -कार्रवाई की कठिनाइयाँ (यदि हों)।

शिकायत निवारण : यदि पंजीकृत संस्था अथवा दिव्यांग व्यक्ति को योजना के संबंध में कोई समस्या हो तो पंजीकृत संस्था अथवा दिव्यांग व्यक्ति या तो वेबसाइट में लॉगइन करके शिकायत समाधान सिस्टम में उक्त समस्या को दर्ज़ कर सकते हैं या राष्ट्रीय न्यास के संबंधित अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कार्यालय के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

एस्केलेशन मैट्रिक्स : यदि कभी राष्ट्रीय न्यास द्वारा इस दस्तावेज में उल्लिखित समय-सीमा का अतिक्रमण होता है तो पंजीकृत संस्था अथवा दिव्यांग व्यक्ति अथवा दिव्यांग व्यक्ति का परिवार अथवा अभिभावक इसे राष्ट्रीय न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संज्ञान में ला सकते हैं। यदि राष्ट्रीय न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मामले का एक समुचित समय-सीमा में समाधान नहीं देते तो पंजीकृत संस्था अथवा दिव्यांग व्यक्ति अथवा दिव्यांग व्यक्ति का परिवार अथवा अभिभावक मामले को राष्ट्रीय न्यास के निदेशक-मंडल के अध्यक्ष के साथ उठा सकते हैं।

दक्षिण कोरिया के म्युजिक फेस्टीवल में शहर के मनोदिव्यांग कोंगो प्लेयर पार्थ बीरजे धूम मचायेंगे

नवजीवन चेरीटेबल ट्रस्ट संचालित डॉ,हरिकृष्ण डाह्याभाई स्वामी स्कूल फोर मेन्टली डिसेबल में तालीम ले रहे और संस्था के साथ जूडे मनोदिव्यांग बच्चों को उनके भीतर छिपे आर्ट, डान्स, म्युजिक और स्पोर्टस जैसे टेलेन्ट को पहचानकर उन्हें पर्फोर्मन्स के लिए देश-विदेश में ले जाया जाता है । हाल ही में एंजलिना नामक बेटी बर्लिन में आयोजित स्पेशियल समर वर्ल्ड ऑलम्पिक में स्केटींग के खेल में हिस्सा लेने गई थी । इस प्रतियोगिता में उसने सिल्वर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था । 1 से 6 अगस्त तक कोरिया में आयोजित इन्टरनेशनल म्युजिक आर्ट फेस्टीवल में हिस्सा लेने के लिए देशभर से 10 एन्ट्रियां आई थी, इन 10 एन्ट्री में से नवजीवन ट्रस्ट के साथ जुडे मनोदिव्यांग छात्र पार्थ बीरजे को कोंगो प्लेयर के लिए पसंद किया गया है । उनके साथ संस्था के संचालक श्री निलेशपंचाल भी दक्षिण कोरिया साथ जाएंगे । 9 देशों के मनोदिव्यांग इस म्युजिक प्लेयर प्रतिसपर्धा में हिस्सा लेंगे । पार्थ बीरजे के पिता देवेश बीरजे पार्थ को सालों से म्युजिक की ट्रेनींग दे रहे हैं और प्रतिस्पर्धा के लिए पार्थ को संस्था के संचालक निलेश पंचाल के मार्गदर्शन में तालीम दे रहे हैं । प्रतिभाशाली मनोदिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को देश विदेश में प्रदर्शित करने के अवसर मिलते रहें तो इन बच्चों की प्रतिभा में निखार आयेगा और अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी ऐसा नवजीवन के ट्रस्टीओं को विश्वास है ।

ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
(N.G.O.)

संचालित

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क तालीम संस्था

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे

सुमेल ५, हाउस नं.:४८/डी, बिजनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-३८० ०१६
मो.: 99749 55125, 99749 55365

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर